न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3136/2005/भरतपुर

1 रामस्वरूप पुत्र हरेती
2 रामखिलाडी पुत्र हरेती
3 हरख्याल पुत्र हरेती सभी जाति जाटव निवासी खैरी तहसील बयाना जिला भरतपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर
2 तहसीलदार, बयाना जिला भरतपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थीगण
श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.29.3.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 83/2001 में पारित निर्णय दिनांक 30.3.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर, बयाना के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खरैरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 984 रकबा 64 बीघा 12 बिस्वा में से 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त सम्वत 2012 से पूर्व से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से चला आ रहा है। पहले वादीगण के पिता एवं वर्तमान में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण अनपढ एवं ग्रामीण परिवश के होने से राजस्व अभिलेख की उन्हें

जानकारी नहीं रही एवं विवादित आराजी को पहले सिवायचक एवं सम्वत 2022 में चारागाह बिना सूचना के दर्ज कर दिया। वादीगण का कब्जा सम्वत 2012 के पूर्व से है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादी ने जबादावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तीन तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 3.2.2001 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 30.3.2005 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों प्रदर्श 1 खसरा नम्बर 2012 से 2016 प्रदर्श 2 व प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, प्रदर्श 8 आदि से यह साबित है कि वादीगण के पिता का विवादित भूमि पर सम्वत 2012 के पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजीयात पर सम्वत 2012 में वादीगण का कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है। विवादित आराजी को वादीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया एवं बाद में चारागाह दर्ज कर दिया जो अनुचित एवं निराधार है। भू प्रबन्ध को पुराने इन्द्राज दोहराने होते हैं। इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तित नहीं कर सकते। वादी अपीलार्थीगण का 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा है जिससे एडवर्स पजेशन से वे खातेदार बन जाते हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी प्रारम्भ से ही राजकीय भूमि रही है। वादीगण द्वारा ऐसा काई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे विवादित आराजी उनके खातेदारी की होना साबित होता है। सम्वत 2012 से पूर्व से वादीगण का कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं कराया गया है। विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर चारागाह भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

4. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद में मुख्य रूप से यही आधार लिया है कि विवादित भूमि पर

सम्वत 2012 के पूर्व से उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रारम्भ से ही राजकीय भूमि रही है। वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित आराजी उनके खातेदारी में दर्ज रही हो, साबित होता हो।

6. वादी अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 984 शामलात देह के नाम दर्ज है तथा कृषक के कालम में खुदकाश्त किशन हिस्सेदार 1/8 हिस्सा जोधा वल्द मूला 1/2 दोजी 1/4 घीसोली1/8 पिसरान जोधा कौम चमार दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि सम्वत 2012 में विवादित भूमि शामलात देह दर्ज थी तथा हिस्सेदारो की काश्त दर्ज रही है। इस दस्तावेज प्रदर्श 1 से सम्वत 2012 में वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होना साबित नहीं होता है। इसी प्रकार बाद के दस्तावेजो में कुछ रकबे पर वादीगण का अतिक्रमण दर्ज रहा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया है। वादीगण अपीलार्थीगण जिनका लगातार कब्जा काश्त नहीं है, को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। वादी अपीलार्थीगण द्वारा इस द्वितीय अपील में ऐसा कोई विधिक बिन्दु नहीं उठाया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 30.3.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य